प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 10.07.2026**

थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए बकरी/बकरा चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्तों के कब्जे से 01 राशि बकरा, 01 मोटरसाइकिल, ₹ 5,000/- नकद व 01 मोबाइल फोन बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 09.07.2026 को थाना शिवली पुलिस द्वारा कानपुर नगर व कानपुर देहात बॉर्डर (थाना क्षेत्र शिवली में) पर पाण्डु नदी पुल शिवली-चौबेपुर मार्ग पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान चौबेपुर, कानपुर नगर की ओर से आ रही मोटरसाइकिल नं0 UP74 AP 1663 पर सवार तीन व्यक्तियों को रोका गया। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति 01 बकरा पकड़े हुये था। शक होने पर बारी-बारी से तीनों व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम नमन पुत्र सुनील बाल्मीकि निवासी ग्राम दिलीपनगर, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 20 वर्ष बताया। बीच में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अर्जुन पुत्र अजय निवासी खुमान निवादा, थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात उम्र 20 वर्ष व पीछे बकरा पकड़कर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सनी पुत्र मुनेश निवासी ग्राम काशीपुर, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात उम्र 21 वर्ष बताया गया तथा बकरे के संबंध में पूछताछ की गयी तो बताया गया कि ग्राम दिलीपनगर निवासी नन्हे लाल पुत्र भरोसे के घर के पास से चुपचाप उसका बकरा चोरी कर लिया था जिसको बेचने के लिये हम लोग कन्नौज जा रहे थे। दिनांक 06.07.2026 की रात्रि में ग्राम अजयपुर, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात से भी हम लोगों ने दो बकरी चोरी की थी तथा चोरी की गयी बकरीयों को रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति को 25,000 रुपये में बेच देना बताया गया। जब व्यक्तियों की तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से रूरा में चोरी की गयी बकरियों को बेचकर प्राप्त रुपयों में से 5,000 रुपये बरामद हुये, जिसके सम्बन्ध में थाना रूरा पर मु0अ0सं0 209/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामदगी के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभियुक्तगण को पाण्डु नदी के पुल शिवली चौबेपुर मार्ग पर दिनांक 09.07.2026 को समय 22.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 230/2026 धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.नमन पुत्र सुनील बाल्मीकि निवासी ग्राम दिलीपनगर थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर उम्र 20 वर्ष।
2.अर्जुन पुत्र अजय निवासी खुमान निवादा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र 20 वर्ष।
3.शनी पुत्र मुनेश निवासी ग्राम काशीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1.एक राशि बकरा।

2.एक मो0सा0 नं0 UP 74 AP 1663

3.थाना रूरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 209/2026 से सम्बन्धित बकरियों को बेचकर प्राप्त रुपयों में से जामा तलाशी से प्राप्त 5,000 रुपये (अभियुक्त नमन उपरोक्त से 3,000 रुपये व अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त से 1,000/- व अभियुक्त शनी उपरोक्त से 1,000 रुपये)

4.अभियुक्त अर्जुन की जामा तलाशी से प्राप्त 01 मोबाइल फोन रेडमी रंग काला।

अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 230/2026 धारा 317(2) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
2. मु0असं0 209/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया गया कि दिनांक 08.07.2026 को रात्रि लगभग 12.00 बजे हम तीनों, दोस्त की शादी से रात लगभग 12.00 बजे घर वापस आ रहे थे ग्राम दिलीपनगर थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के नन्हे लाल पुत्र भरोसे के घर के सामने सूनशान था। उसका बकरा घर के बाहर बँधा हुया था, जिसका मुंह दाबकर तीनों ने मिलकर उसको मोटरसाइकिल से लाद कर गांव से दूर जंगल में बांध दिया था और आज रात में उसको बेचने के लिये कन्नौज ले जा रहे थे। दिनांक 06.07.2026 को रात्रि में रूरा के अजयपुर गांव से 02 बकरियां भी चोरी की थी, जिनको रास्ते में एक आदमी को 25,000 रुपये में बेच दिया था, जिसके पैसे हम लोगों ने आपस में बांट लिये। जिससे सम्बन्धित 5,000 रुपये अभियुक्तगण की जामा तलाशी से प्राप्त हुये।

गिरफ्तार करने वाली थाना सिकन्दरा पुलिस का विवरण–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
2. उ0नि0 श्री आनंद कुमार पाण्डेय
3. का0 945 अभिषेक कुमार
4. रि0का0 511 प्रशान्त
5. रि0का0 393 गौरव